राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2950/2024

मंजू

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख सचिव, शिक्षा (ग्रुप–II) सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
3. उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, भरतपुर, भरतपुर संभाग।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, करौली, करौली।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 23.09.2024
आदेश की दिनांक : 24.09.2024
उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री कैलाश चौधरी, अभिभाषक
समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी को दिनांक 15.01.2015 के आदेश के अनुसरण में 22.01.2015 को राजकीय माध्यमिक विद्यालय, रामपुर धाबाई, जिला करौली में वरिष्ठ अध्यापक (सामाजिक विज्ञान) के पद पर नियुक्त किया गया था। (अनुलग्नक–1) अपीलार्थी को दिनांक 21.06.2017 के आदेश के तहत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, रामपुर से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, मोहनपुर जिला करौली में स्थानांतरित किया गया। अपीलार्थी ने दिनांक 21.06.2017 के आदेश का अनुपालन किया तथा उचित समय पर पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण किया। (अनुलग्नक–2) अपीलार्थी को नवंबर, 2022 के महीने में ब्रेन ट्यूमर हुआ, उसने उपर्युक्त बीमारी का ऑपरेशन कराया और पता चला कि यह ब्रेन ट्यूमर (कैंसर) है एवं अपीलार्थी की दिनांक 18.11.2023 की हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट से स्पष्ट है कि जो अपीलार्थी के मस्तिष्क भाग में घातक वृद्धि दर्शाती है। (अनुलग्नक–3) अपीलार्थी का पति केंद्र सरकार का कर्मचारी है, जो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एक केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रम में कार्यरत है तथा वर्तमान में टीएलसी, सीकर में प्रबंधक के पद पर कार्यरत है। (अनुलग्नक–4) अपीलार्थी वर्तमान में जिला करौली में कार्यरत है तथा उसका पति जिला सीकर में रहता है तथा उसकी एक 5 वर्षीय बच्ची है तथा अपीलार्थी की गम्भीर स्थिति को देखते हुए उसे अधिक देखभाल एवं सावधानी की आवश्यकता है। अपीलार्थी ने दिनांक 29.08.2024 को पंजीकृत ई–मेल एवं

पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रत्यर्थी विभाग को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है, जिसमें अपीलार्थी ने उसके मायके के निकट पंचायत समिति श्रीमाधोपुर, अजीतगढ़, जिला नीम का थाना में रिक्त पद पर स्थानान्तरित करने की मांग की है। (अनुलग्नक–5)

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी को सेठ श्री जगन्नाथ प्रसाद गोयल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय झाड़ली या श्री रामेश्वर लाल राम दयाल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, डाबा वाली, सीहोर में रिक्त पद पर अपीलार्थी को नियुक्ति दिए जाने के निर्देश दिए जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी को सुना एवं बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किया जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों / दिशा–निर्देशों / परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (speaking order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य